

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

स्वी०संख्या-4/यो०ब०-47/2015 43/10 व०प० राँची, दिनांक- 30.03.2015

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" के अंतर्गत कुल रु० 300.00 लाख (तीन करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण", वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई योजना है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राज्य में 01 राष्ट्रीय उद्यान, 01 गज परियोजना तथा 11 वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव वास करते हैं। अक्सर वनों से वन्यजीवों के अवैध शिकार के मानले प्रकाश में आते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वन्य जीव अपराध नियंत्रण हेतु खुफिया तंत्र के माध्यम से सूचना एकत्र करना, सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करना, वन्यप्राणी अपराध से सम्बंधित ऑकड़े (Data Base) संकलित करना ताकि वन्यजीवों के अंगों के अवैध व्यापार रोकने में प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सके। इस योजना अंतर्गत वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को वन्यजीव अपराध से संबंधित मानलों की पहचान, अनुसंधान एवं अभियोजन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं जन समुदायों विशेषकर स्कूली विद्यार्थियों को वन्यजीव अपराध के संबंध में जागरूक किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत "वन्यप्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के अधीन कुल 278.00 लाख (दो करोड़ अठहत्तर लाख) रुपये मात्र की लागत पर कार्यान्वित की जानेवाली कार्य-योजना (परिशिष्ट-1) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत राशि का व्यय विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग-निदेशिका में निहित प्रावधान से आच्छादित होगा।

6. 

4. स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/ इकाईवार राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

| शीर्ष का नाम | इकाई | विपत्र कोड | बजटीय उपबंध (लाख में) | स्वीकृत राशि (लाख में) |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| मुख्य शीर्ष 2406-बानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-बानिकी, लघु शीर्ष 101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष 45-वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण | मजदूरी | 19P240601101450103 | 120.00 | 120.00 |
| | आपूर्ति एवं सामग्री | 19P240601101450323 | 180.00 | 158.00 |
| कुल स्वीकृत राशि- दो करोड़ अठहत्तर लाख रुपये मात्र | | | 300.00 | 278.00 |

5. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट-1 में अंकित विवरण के अनुसार होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रण पदाधिकारियों एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक/ मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनान्तर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।
9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।
10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।
11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

43/2015

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

16. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

17. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

19. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलेख में प्रधान सचिव महोदय का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

43/10

30.10.2015

ज्ञापांक -4/यो०ब०-47/2015

43/राँची

व०प०/राँची, दिनांक-30.10.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विकास आयुक्त, झारखंड, राँची / योजना-सह-वित्त विभाग, झारखंड, राँची / सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कौषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो०ब०-47/2015

43/राँची

व०प०/राँची, दिनांक-30.10.2015

प्रतिलिपि :- सानुलग्नक संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण" योजना के अन्तर्गत स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(शिशि लाख में)

| क्रम | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | विवरणी | प्राक्कलित राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|------|--|--|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमण्डल, रांची | केन्द्रीय प्रकोष्ठ का गठन (सुखात्मक स्तर पर) (Constitution of Central Force) | 15,000 | 9,880 | 5,120 | 15,000 |
| II | | कम्प्यूटर रूम की स्थापना/जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रहार बल, तकनीकी विशेषज्ञ, System analyst, चौकीदार, आदेशपाल आदि का मानदेय | | | | 0,000 |
| III | | केन्द्रीय प्रकोष्ठ हेतु वाहन का क्रय | 10,000 | 0,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2 | | आधुनिकतम संगीतों का क्रय कम्प्यूटर, कलर प्रिन्टर, फ़ैक्स, LED 52", DVD, LCD Projector screen | 2,140 | 2,140 | 0,000 | 2,140 |
| 3 | | संचार उपकरण, जी0पीएस0 सिस्टम, सॉफ्टवेयर विकास / क्रय इत्यादि | | | | |
| I | | गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) केन्द्रीय प्रकोष्ठ हेतु | | | | |
| 4 | | कोशल विकास (Capacity Building) | 7,000 | 2,000 | 5,000 | 7,000 |
| I | | वन विभाग, पुलिस विभाग, रेल विभाग, पथ परिवहन, एक्स्पर्ट ऑथोरिटी के पदाधिकारियों/मुख्या पदाधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण | | | | 0,000 |
| 4 | | निगरानी (Surveillance) | 1,370 | 0,000 | 1,370 | 1,370 |
| I | | वन्य प्राणी आश्रयणी के मुख्य द्वार पर CCTV एवं मॉनीटर का क्रय | 35,510 | 14,020 | 21,490 | 35,510 |
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल | योग | | | | |
| I | | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
| 2 | | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि | | | | |
| I | | प्रहार बल (Striking Force) | 9,000 | 9,000 | 0,000 | 9,000 |
| 2 | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों/अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 2,140 | 2,140 | 0,000 | 2,140 |
| 3 | | गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | | | | 0,000 |
| 4 | | रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | 9,094 | 0,000 | 9,094 | 9,094 |
| I | | रेस्क्यू कार्य, ट्रैक्यूलाईजिंग मनु, डार्ट, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | | | | 0,000 |
| 5 | | निगरानी (Surveillance) | 1,840 | 0,000 | 1,840 | 1,840 |
| I | | नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन बायनोस्कोपर्स, अत्याधुनिक संचार उपकरण | 28,074 | 15,140 | 12,934 | 28,074 |
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल | योग | | | | |
| I | | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 6,000 |
| 1 | | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि | | | | |

43/वकी
30.10.2015

| क्रम | विकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | विवरणी | प्राकटित राशि | भलदूरी | अपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|------|---|---|---------------|--------|---------------------|--------|
| 2 | | प्रहार बल (Striking Force) | | | | |
| 1 | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
| 3 | | मुक्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 2.140 |
| 4 | | रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | 9.094 | 0.000 | 9.094 | 9.094 |
| 5 | | रेस्क्यू कार्य, ट्रैकलॉइडिंग गन, डाई, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | | | | |
| 1 | | निगरानी (Surveillance) | 1.860 | 0.000 | 1.860 | 1.860 |
| 1 | | नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन बायोमिटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण | 28.094 | 15.140 | 12.954 | 28.094 |
| | | योग | | | | |
| 1 | वन प्रभुडल पदाधिकारी, वीकारे वन प्रभुडल | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि | | | | |
| 2 | | प्रहार बल (Striking Force) | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
| 1 | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 2.140 |
| 3 | | मुक्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | | | | |
| 4 | | रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | 9.094 | 0.000 | 9.094 | 9.094 |
| 1 | | रेस्क्यू कार्य, ट्रैकलॉइडिंग गन, डाई, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | | | | |
| 5 | | निगरानी (Surveillance) | 2.860 | 0.000 | 2.860 | 2.860 |
| 1 | | नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन बायोमिटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण | 29.094 | 15.140 | 13.954 | 29.094 |
| | | योग | | | | |
| 1 | वन प्रभुडल पदाधिकारी, वन प्रभुडल | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि | | | | |
| 2 | | प्रहार बल (Striking Cell) | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
| 1 | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 2.140 |
| 3 | | मुक्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | | | | |
| 4 | | रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | 9.094 | 0.000 | 9.094 | 9.094 |
| 1 | | रेस्क्यू कार्य, ट्रैकलॉइडिंग गन, डाई, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | | | | |
| 5 | | निगरानी (Surveillance) | 1.860 | 0.000 | 1.860 | 1.860 |
| 1 | | नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन बायोमिटर, अल्ट्रासोनिक सेंसर उपकरण | 28.094 | 15.140 | 12.954 | 28.094 |
| | | योग | | | | |

43/2410

30.10.2015

| क्रम | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | विवरण | प्राक्कलित राशि | मजदूरी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|------|--|--|-----------------|--------|---------------------|--------|
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदीनीनगर वन प्रमण्डल | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय इत्यादि | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| 2 | | प्रहार बल (Striking Force) | | | | |
| i | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों/अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
| 3 | | गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 2.140 |
| 4 | | रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | | | | |
| i | | रेस्क्यू कार्य, ट्रैकलॉइजिंग गन, डार्ट, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | 9.094 | 0.000 | 9.094 | 9.094 |
| 5 | | निगरानी (Surveillance) | | | | |
| i | | नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन बायोस्कूपलर्स, अत्याधुनिक संचार उपकरण | 1.860 | 0.000 | 1.860 | 1.860 |
| | | योग | 28.094 | 15.140 | 12.954 | 28.094 |
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोर एरिया व्याघ्र परियोजना, पलामू | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना/जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| 2 | | प्रहार बल (Striking Force) | | | | |
| i | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों/अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
| 3 | | गुप्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 2.140 |
| 4 | | रेस्क्यू किये गये वन्य प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | | | | |
| i | | रेस्क्यू कार्य, ट्रैकलॉइजिंग गन, डार्ट, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | 9.094 | 0.000 | 9.094 | 9.094 |
| 5 | | निगरानी (Surveillance) | | | | |
| i | | नाईट विजन कैमरा, नाईट विजन बायोस्कूपलर्स, अत्याधुनिक संचार उपकरण | 1.860 | 0.000 | 1.860 | 1.860 |
| | | वन्य प्राणी आश्रयों के मुख्य द्वार पर CCTV एवं मॉनीटर का क्रय | 1.370 | 0.000 | 1.370 | 1.370 |
| | | बेतला नेशनल पार्क के वन्यप्राणी एवं वनों की सुरक्षा हेतु Electronic Surveillance System की स्थापना | 17.000 | 0.000 | 17.000 | 17.000 |
| ii | | तीन झेन का क्रय | 21.000 | 0.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | योग | 67.464 | 15.140 | 52.324 | 67.464 |

43/2010
20.12.2015

| क्रम | निकासी एवं व्ययन | विवरणी | प्राकल्पित राशि | मासद्वी | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल |
|------|--|---|-----------------|---------|---------------------|---------|
| 1 | वन प्रमण्डल | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ (Sub-Central Cell) का गठन | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 6.000 |
| 1 | पदाधिकारी, सॉफी वन प्रमण्डल | उप केन्द्रीय प्रकोष्ठ का स्थापना / जीर्णोद्धार, कम्प्यूटर इत्यादि का क्रय, कम्प्यूटर और प्रिंटर का मानदेय इत्यादि | 9.000 | 9.000 | 0.000 | 9.000 |
| 2 | | प्रहार बल (Surfing Force) | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 2.140 |
| 1 | | होमगार्ड / तकनीकी विशेषज्ञों / अन्य कर्मचारियों का मानदेय इत्यादि | 9.094 | 0.000 | 9.094 | 9.094 |
| 3 | | मुक्त सूचनाओं का संग्रहण (Intelligence Gathering) | | | | |
| 4 | | शेरवू, किये गये वन प्राणियों के रख रखाव (upkeep of rescued animals) | 1.860 | 0.000 | 1.860 | 1.860 |
| 5 | | शेरवू कार्य, ट्रेकिंग/इन्जिन गन, जार्ड, आवश्यक दवाइयाँ, डीप फ्रीजर आदि | 28.094 | 15.140 | 12.954 | 28.094 |
| 1 | | निगरानी (Surveillance) | | | | 0.000 |
| | | नाइट विजन कैमरा, नाइट विजन वापनोपयुक्त, अत्याधुनिक संचार उपकरण | | | | |
| | | योग | | | | |
| 1 | वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारोंवाग वन प्राणी प्रमण्डल | निगरानी (Surveillance) | 4.110 | 0.000 | 4.110 | 4.110 |
| 1 | | 03 वन्य प्राणी आश्रयणी के मुख्य द्वार पर CCTV एवं मोनीटर का क्रय | 4.110 | 0.000 | 4.110 | 4.110 |
| | | योग | | | | 0.000 |
| 1 | उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक गज परियोजना, जयशेदपुर | निगरानी (Surveillance) | 1.370 | 0.000 | 1.370 | 1.370 |
| 1 | | वन प्राणी आश्रयणी के मुख्य द्वार पर CCTV एवं मोनीटर का क्रय | 1.370 | 0.000 | 1.370 | 1.370 |
| | | योग | | | | |
| | | सकल योग | 278.000 | 120.000 | 158.000 | 278.000 |

(50000 ररतानी)

सरकार के विशेष सचिव

30.10.2015